न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/113/2022	2022/214	23.08.2022	18.03.2024

1. कैलाश पुत्र मूलचन्द, जाति माली, निवासी भोली वालो का बास कोराठ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
2. रूपनारायण पुत्र मूलचन्द, जाति माली, निवासी भोली वालो का बास कोराठ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।
3. नरसी पुत्र मूलचन्द, जाति माली, निवासी भोली वालो का बास कोराठ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2022 नायब तहसीलदार राजगढ प्रकरण संख्या 36/2022।

उपस्थितः—

01. श्री अजीत कुमार यादव —वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 06.06.2022 प्रकरण संख्या 36/2022 जिसके द्वारा संवत 2079 में ग्राम गोविन्दपुरा की आराजी खसरा न0 342 रकबा 0.15 है0 किस्म गैर गै0मु0 सडक में से अतिक्रमित रकबा 0.01 है0 पर बाडी लगाने पर बेदखली की कार्यवाही एवं 50 गुणा पैनल्टी कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि उक्त आलोच्य आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राज0 दिनांक 06.06.2022 को तहत अदालत में हम अपीलान्टान के द्वारा उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया जिस पर तहत अदालत के द्वारा हम अपीलान्टान के द्वारा कई बार जानकारी करने के बावजूद कोई तारीख पेशी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

नहीं बताई और तत्पश्चात दिनांक 16.08.2022 को जानकारी करने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई। आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं होने के कारण अपील समयावधि में पेश नहीं की जा सकी। दिनांक 16.08.2022 को जानकारी होने पर नकल प्रा0प0 पेश कर दिनांक 16.08.2022 को सांयकाल नकल प्राप्त की गई। दिनांक 06.06.2022 से 16.08.2022 का समय नकल तैयार होकर मिलने में व्यतीत होने से लाईल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्टान न्यायहित में अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है जिसके लिये प्रा0प0 जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हल्फनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है। पटवारी हल्का भजेडा ने धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार अपीलान्टान के द्वारा ग्राम गोविन्दपुरा की राजमीय सिवायचक गैर मु0 सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि की आराजी खसरा न0 342 रकबा 0.15 है0 किस्म गैर गै0मु0 सडक में से अतिक्रमित रकबा 0.01 है0 पर बाडी बनाकार अतिक्रमण किया है। जिस पर तहत अदालत ने प्रकरण संख्या 36/2022 अन्तर्गत धारा 91 के तहत दर्ज कर दिनांक 06.06.2022 को निस्तारित कर अपीलान्टान को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली की कार्यवाही एवं 50 गुणा पैनल्टी कायम किया गया। जिस निर्णय के विरूद्ध अपील निम्न आधार पर पेश कर स्वीकार किए जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर कोई बाडी नहीं लगाई गई है न ही किसी प्रकार का कोई अतिचार किया गया है। अपीलान्टान द्वारा न ही कोई पुख्ता निर्माण किया गया है। पटवारी हल्का ने बिना मौका जांच किए अपीलान्ट के खिलाफ गलत तथ्य पेश किए गए हैं। अपीलान्टान ने अपने हिस्से की भूमि पर आवारा जानवर से सुरक्षा के लिए बाड व पेड–पौधे लगा रखे हैं। अपीलान्टान के द्वारा जवाब प्रस्तुत किए जाने के बाबजूद अपीलान्टान के जवाब पर गौर नहीं किया गया और न ही अपीलान्टान को बहस का अवसर दिया। बिना अवसर दिये सीधा आदेश पारित किया गया है। अपीलान्टान को गवाह पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा रेस्पोडेन्ट ने भी अपनी ओर से हल्का पटवारी के बयान दर्ज नहीं करवाये। रेस्पोडेंट के द्वारा अधीनस्थ अदालत में अपना कोई बयान ही पेश नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में न्याय के सुस्थापित सिद्धांतो के अनुसार रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रकरण साबित ही नही किया गया जिससे रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्ररकण में अपीलान्टान के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आदेश पारित ही नहीं किया जा सकता और रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। मिन अपीलान्टान निर्णय के दिन तहत अदालत मे उपस्थित नहीं थे। निर्णय तहत अदालत विधि विरूद्ध तथा तथ्यों के विपरीत एवं नियम व प्रक्रिया के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। पटवारी हल्का भजेडा के द्वारा तहत अदालत में राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसमें अपीलांटान की तामील उपरांत अपीलान्ट के द्वारा गलत नोटिस का विस्तृत जवाब भी पेश कर तहत अदालत से निवेदन किया था उसके बावजूद तहत अदालत के द्वारा अपीलान्ट के प्रस्तुत जवाब पर गौर नहीं किया और अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर नही दिया गया और बेजा तौर पर अतिक्रमी मानते हुये अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल कर अर्थदण्ड व सजा से दण्डित किया है तथा आदेशिका दिनांक 24.05.2022 में अपीलाण्ड के द्वारा जवाब पेश होना दर्ज किया जाकर पत्रावली बिना किसी साक्ष्य के सीधे रूप से आदेश हेतु दर्ज किया है जो अविधिक है तथा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 06.06.2022 को उक्त अविधिक निर्णय पारित किया है तथा उक्त समस्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अजमेर (राज0)

आदेशिका भी तहत अदालत के द्वारा मनमाने तरीके से निर्णय दिनांक को ही तैयार कार लिखी गई, जिससे तहत अदालत का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्कीकार की फरमाई जाकर तहत अदालत तहसीलदार राजगढ का निर्णय दिनां 06.06.2022 बसिलसिले प्ररकण संख्या 36/2022 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट को नोटिस के भार से मुक्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि गैर मु0 सडक पर किसी भी प्रकार की बाडी लगाकर अतिचार नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा अपने बुजुर्गान के समय से ही चली आ रही अपने हिस्से की भूमि पर आवारा जानवरों से सुरक्षा के लिए बाड लगा रखी है। उक्त विवादित गै0मु0 सडक पर प्रार्थी का कोई पुख्ता निर्माण भी नहीं है। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में भी उक्तानुसार विवादित गै0मु0 सडक पर अतिक्रमण के संबंध में कोई कब्जा होना नहीं बताया है जबकि अपील प्रस्तुत किए जाने के पश्चात तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में विवादित गै0मु0 सडक पर अपीलांट्स का बाडी (मिर्च वगैरह) लगाकर अतिक्रमण यथावत पाया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा वक्त बहस भी कथन किया की हमारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। नाप करवा ली जाए। अपील अपीलाण्ट खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 06.06.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)